कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर।

पत्रांक /क0गा0आ0बा0वि0/समग्र शिक्षा/179/2021–22 दिनांक 21.6.2021

विज्ञप्ति

उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या 1553/68–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 11.12.2020 के क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक के0जी0बी0वी0/शिक्षक/8362/2020–21 दिनांक 04.01.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमति उपरान्त जनपद जौनपुर में संचालित 19 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर (11 माह 29 दिन तक) के लिए नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार पूर्णकालिक पदों पर केवल महिला तथा अंशकालिक पदों पर महिला/पुरूष योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है जो दिनांक 21.06.2021 से 05.07.2021 तक सायं 05.00 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर में पंजीकृत डाक द्वारा आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	पद का नाम	विषय	पदों की संख्या	आरक्षणवार विवरण				मानदेय	अर्हता
				अनारक्षित	पिछड़ी जाति	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति		
1	पूर्णकालिक शिक्षिका	गणित	12	6	4	2	–	22000	पी0सी0एम0 वर्ग से स्नातक, एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0
		विज्ञान	07	3	3	1	–	22000	जेड0बी0सी0 वर्ग से स्नातक, एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0
		समाजिक विषय	04	2	1	1	–	22000	भूगोल, इतिहास, एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक सहित प्रशिक्षित स्नातक के साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0
		हिन्दी/संस्कृत	01	1				22000	हिन्दी/संस्कृत विषय से स्नातक उपाधि, एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0
		अंग्रेजी	05	2	2	1	–	22000	अंग्रेजी विषय से स्नातक उपाधि, एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0
2	अंशकालिक शिक्षिका	शारीरिक शिक्षा	03	1	1	1	–	9800	प्रशिक्षित स्नातक, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि।
		कला क्राफट संगीत	2	1	1	–	–	9800	स्नातक उपाधि, एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0
		कम्प्यूटर टीचर	14	7	4	1	1	9800	एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इसके अतिरिक्त पी0जी0डी0सी0ए0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइन्स अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ0 लेवल/ए लेवल डिप्लोमा
3	लेखाकार		04	02	01	01	–	11000	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक तथा एम0एस0 आफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में चयन में वरीयता दी जायेगी।
4	मुख्य रसोईयां		01	01	–	–	–	6900	कक्षा 08उत्तीर्ण
5	सहायक रसोईया		04	02	01	01	–	5175	कक्षा 08उत्तीर्ण
6	चौकीदार		02	01	01	–	–	5750	कक्षा 08 उत्तीर्ण
7	चपरासी		05	03	01	01	–	5750	कक्षा 08 उत्तीर्ण

आवश्यक नियम व शर्ते–

- पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- अग्रेतर उल्लेखनीय है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये है/ हो रहे है, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करनें पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
- कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइन्स अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से "ओ" लेवल/"ए" लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
- कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक/शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0 सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।
- चपरासी/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 08 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोईयां एवं सहायक रसोइयां का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।

02. आयु–

- समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष होगी।
- समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हो, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये है/हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाली नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करनें पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत रहनें की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाये, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

03. चरित्र–

- किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगें। चयन समिति अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में यथोचित समाधान करेगी।

04. चयन प्रक्रिया–

- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे है, उनके द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करनें पर उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 अंक अतिरिक्त भारांक दिया जाये किन्तु अधिकतम भारांक 30 अंक से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- शिक्षक/शिक्षिकाओं के चयन हेतु पदवार/विषयवार/वर्गवार पृथक–पृथक श्रेष्ठता सूची(मेरिट सूची) बनायी जायेगी।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा–

क्र0 सं0	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल.	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 20/100

4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 30 / 100
5	**भारांक** कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो।

नोट :–

(i) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(ii) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।

(iii) पूर्णकालिक शिक्षिका के पद पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी तथा अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका पद पर पुरूष / महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। किन्तु महिला अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(iv) पूर्णकालिक शिक्षिका पूर्ण कालिक पद है अतः इन्हें विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा।

(v) चौकीदार / चपरासी पदो के लिए निर्धारित योग्यता कक्षा 08 उत्तीर्ण है। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त न हो। मुख्य रसोईयां / सहायक रसोईयां का पद पूर्णकालिक है इनके लिए विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है। मुख्य रसोईयां / सहायक रसोईयां पद हेतु अनुभव को वरीयता दिये जाने का प्राविधान है।

(vi) आवेदन पत्र के प्रारूप पर आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है, अंकित किया जाना अनिवार्य है।

(vii) काउंसिलिंग / साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(viii) आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(ix) आवेदन पत्र के साथ रू0 25 का डाक टिकट लगा लिफाफा जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट लिखा हो। अवश्य संलग्न करें।

(x) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा, अपूर्ण / अस्पष्ट आवेदन पत्र अथवा बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र तथा उपरोक्तानुसार विज्ञापन में उल्लिखित निर्देशों का पालन न करने वाले अभ्यर्थी के आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे। जिसके लिए कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

(xi) किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक / चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(xii) समस्त नियम व शर्तें शासनादेश संख्या 1553 / 65–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 11.12.2020 एवं अद्यतन निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रभावी होंगे।

(xii) उपरोक्त विषय में अंकित रिक्त पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है।

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पृ0सं0 / क0गा0आ0बा0वि0 / समग्र शिक्षा / 179 / 2021–22 उक्तवत्

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– जिलाधिकारी महोदय जौनपुर।

02– मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर।

03– जिला सूचना अधिकारी जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद के बेवसाइट Jaunpur.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

04– मुख्य सम्पादक दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि अपने दैनिक समाचार पत्र के प्रादेशिक / राष्ट्रीय संस्करण में न्यूनतम शासकीय दर पर आज ही प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की फोटो।

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. गृह जनपद का नाम : ....
3. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में) : ....
4. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम (अंग्रेजी में) : ....
5. पिता का नाम (हिन्दी में) : ....
6. जन्मतिथि (हाईस्कूल अंक पत्र के अनुसार) : ....
7. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्य करनें का अनुभव : ....
8. पत्र व्यवहार का पता : ....

....

....

9. निवास का पता : ....

....

....

10. मोबाइल नम्बर : ....
11. जाति/वर्ग : वर्ग.............................. जाति..............................

शैक्षिक योग्यता का विवरणः—

क्र0 सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	अनुभव
1	कक्षा 08							
2	हाईस्कूल							
3	इण्टर							
4	स्नातक							
5	प्रशिक्षण योग्यता							
6	टी0ई0टी0							
7	अन्य योग्यता							

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये उपरोक्त विवरण सत्य हैं चयन के पूर्व अथवा बाद में जांच के उपरान्त विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करनें व मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करनें का अधिकार होगा। समस्त मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। विज्ञप्ति के शर्तों को पूरा न करनें/स्वयं हस्ताक्षरित न होने/साधारण डाक द्वारा आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाये।

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का हस्ताक्षर